N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0234 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/10/2024 20:00 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 16/10/2024 **Date To (दिनांक तक):** 17/10/2024

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:50 बजे **Time To (समय तक):** 15:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/10/2024 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/10/2024 20:00:08 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 90 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** SWAGAT KAKSH, POLICE STATION MANPUR, DISTRICT DAUSA

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SATISH SHARMA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SHRVAN LAL SHARMA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1967 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	JAMDOLI FORT KE PASS, JAMDOLI, KANOTA, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	RAYPURA BRA, MANPUR, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AJEET SINGH		पिता:GHISIRAM	1. GRAM MEHTOLI,BHUSAWAR,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 16.10.2024 को परिवादी श्री सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्री श्रवण लाल शर्मा, जाति ब्राह्म्ण उम्र 57 साल निवासी गांव रायपुरा ब्रा0, पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा, हाल जामडोली फोर्ट के पास, जामडोली, पुलिस थाना कानोता जयपुर मो.नं. [redacted] ने उपस्थित ए.सी.बी मुख्यालय होकर एक प्रार्थना पत्र इस आषय का पेष किया कि " मैं सतीष कुमार शर्मा निवासी रायपुरा ब्राहम्णान जिला दौसा का रहने वाला हूॅं। यहां वर्तमान में जामडोली रहता हॅूं। दिनांक 10.09.2024 को गांव रायपुरा ब्रा. में मेरे परिवार के लोगो के साथ लडाई-झगडा हो गया था मेरे विपक्षी गिर्राज प्रसाद की पत्नी ने हमारे विरूद्ध थाना मानपुर में मुकदमा 244 दिनांक 11.09.2024 दर्ज करवाया था। जिसकी जांच थाना मानपुर में कार्यरत श्री अजीत सिंह हैड कान्सटेबल द्वारा की जा रही है। इस संबंध में दिनांक 11.10.24 को मैं श्री अजीत सिंह जी से थाना मानपुर में जाकर मिला तो उसके द्वारा इस मुकदमें में मेरी पुत्री, बहन का नाम हटाने व बडी धारायें हटाने की एवज में रिष्वत के तौर पर 20,000/- रूपये की मुझ से मांग की गई। मेरे द्वारा उनको उनको 7000 रूपये बार-बार रिष्वत मांगने पर उसी दिन थाने पर दे दिये थे उनके द्वारा शेष 13000 रूपये दिनांक 16.10.24 को देने के लिये कहां गया है। मैं श्री अजीत सिंह हैड कानि. को रिष्वत के रूप में 13000 रूपये नही देना चाहता हूॅं। बल्कि रिष्वत लेते हुए इनको रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूंॅ। मेरा श्री अजीत सिंह, हैड कॉस्टेबल से कोई उधार का लेन देन शेष नहीं है और ना ही कोई आपसी रंजीष है। इस मामले में आपसे कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूॅं।" परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 244/2024 व प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 247/2024 पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा की छायाप्रतियां व स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति पेष की। जिसका गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। इसके बाद मजीद् दरियाफ्त पर बताया कि थाना मानपुर में मेरे विरूद्ध मुकदमा 244/2024 दिनांक 11.09.24 दर्ज है, उक्त प्रकरण की तफ्तीष श्री अजीत सिंह हैड कान्सटेबल कर रहा है, उक्त प्रकरण में मेरी पुत्री व बहन का नाम हटाने व बडी धारायें हटाने की एवज में 20 हजार रूपये की मांग की गई तथा उसी दिन श्री अजीत सिंह हैड कानि. द्वारा 7 हजार रूपये रिष्वत के ले लिये तथा 13 हजार रूपये दिनांक 16.10.2024 को देने का कहा है। मेरी श्री अजीत सिंह हैड कान्सटेबल से कोई लेन देन व रंजिष नहीं है। मजीद दरियाफ्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से मामला रिष्वत देन लेन का पाया गया। अतः रिष्वत मांग सत्यापन करवाया जावेगा। इसके पष्चात मन् उप पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय से श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा, कानि. न. 212 को अपने कक्ष में बुलाया। इसके बाद परिवादी श्री सतीष शर्मा का आपस में परिचय करवाया गया। कार्यालय में श्री गजानन्द, उ0नि0 से एक डिजिटल वाईस रिकार्डर मंगवाया जाकर उसमें नया खाली मैमोरी कार्ड लगाकर, परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर चलाने व बन्द करने की विधि समझाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा, कानि. को सुपुर्द किया गया। जिसकी फर्द सुपुदगी डिजिटल वाईस रिकार्ड तैयार की गई। श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा, कानि. को हिदायत की गई कि परिवादी श्री सतीष शर्मा, जब भी संदिग्ध से वार्ता करने जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द करे तथा परिवादी व संदिग्ध के मध्य होने वाले वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे, बाद सत्यापन की कार्यवाही के वापस मेरे समक्ष उपस्थित होवें। परिवादी श्री सतीष शर्मा, उसके पुत्र श्री प्रेमषंकर व श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा, कानि. को मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। समय 05.04 पी.एम. पर श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा, कानि. ने अपने मो.नं. [redacted] से मन् उप पुलिस अधीक्षक के पास मोबाईल नं. [redacted] पर कॉल कर बताया कि मैं परिवादी के साथ ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा के सामने पहुंचा, जहां पर रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपूर्द कर पुलिस थाना मानपुर में संदिग्ध से वार्ता करने के लिए रवाना किया। कुछ देर बाद परिवादी वापस मेरे पास आया एवं डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मुझे सुपूर्द किया। जिसको मेरे द्वारा बन्द किया गया। परिवादी ने बताया है कि मेरे व श्री अजीत सिंह हैड कानि. से रिष्वत के संबंध में वार्ता हो गई है और श्री अजीत सिंह ने मेरे से 3000 रूपये ले भी लिये है तथा 10 हजार रूपये कल दिनांक 17.10.2024 को देने के लिए कहा हैं। श्री विरेन्द्र कुमार कानि. द्वारा मन् उपअधीक्षक की वार्ता परिवादी श्री सतीष शर्मा से करवाई गई, तो परिवादी ने उक्त वार्ता होने की ताईद की। परिवादी श्री सतीष शर्मा को रिष्वत राषि 10 हजार रूपये कल दिनांक 17.10.2024 को समय 10.00 ए.एम. पर कार्यालय एसीबी में लेकर आने को कहा गया, जिस पर परिवादी श्री सतीष शर्मा ने बताया कि रिष्वत राषि की व्यवस्था करने के लिए मेरे को रूकना पडेगा, अब मैं आपके पास नही आउगा, कल रिष्वत राषि 10 हजार रूपये साथ लेकर आ जाउगा। इस पर श्री विरेन्द्र

कुमार कानि. को हिदायत दी गई कि रिकॉर्डर सहित कार्यालय में उपस्थित होवें। इसके पष्चात समय 07.30 पी.एम. पर श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा, कानि. वापस मन् उप पुलिस अधीक्षक के पास ए.सी.बी. कार्यालय में आया। जिसने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपूर्द कर बताया कि परिवादी श्री सतीष शर्मा द्वारा रिष्वत राषि की व्यवस्था करने के कारण मेरे साथ ए.सी.बी. कार्यालय नही आया, वो कल दिनांक 17.10.2024 को उपस्थित हो जायेगा। श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा कानि. ने बताया कि मैं और परिवादी श्री सतीष शर्मा मानपुर थाने के बाहर पहुचें, परिवादी श्री सतीष शर्मा संदिग्ध श्री अजीत सिंह हैड कान्सटेबल से मिलने मानपुर थाने में जाने से पूर्व परिवादी श्री सतीष शर्मा को रिकॉर्डर ऑन करके रवाना किया, मैं मानपुर थाने के बाहर हीं इन्तजार करने लगा। करीब 20 मिनिट बाद परिवादी बाहर आया, जिसने रिकार्डर मुझे दिया, जिसको मेरे द्वारा बन्द किया गया। इसके बाद मैं रवाना होकर परिवादी को जामडोली छोडकर कार्यालय आया। मन् उप अधीक्षक द्वारा रिकार्डर को चालू कर सरसरी तौर पर सुना गया, जिसमें परिवादी व श्री विरेन्द्र शर्मा, कानि. के कथनों की ताईद होती है। डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्डषुदा वार्ता का आईन्दा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थित में वार्ता रूपातंरण तैयार किया जावेगा। चूकिं कार्यवाही में रिष्वत मांग का सत्यापन हो चुका है, संदिग्ध द्वारा कल दिनांक 17.10.2024 को ही परिवादी को 10,000 रूपये रिष्वत के लेकर बुलाया गया है। कल दिनांक 17.10.2024 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जावेगा । रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में ताला लगाकर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 17.10.2024 को समय 09.47 ए.एम पर दिनांक 16.10.2024 को परिवादी श्री सतीष शर्मा व आरोपी श्री अजीत सिंह हैड कानि. के मध्य रिष्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता जो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी, उक्त वार्ता के बाबत् श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये टेलिफोन बताया तो श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ट्रेप कार्यवाही के आयोजन के संबंध में निर्देष दिये। समय 10.00 एएम पर श्री राजकुमार सउनि को स्वतन्त्र गवाहान लाने हेतु श्रीमान् जिला आबकारी अधिकारी, ग्रामीण जयपुर डिस्पेज नं. 1131 दिनांक 17.10.2024 पत्र सुपूर्द कर मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। समय 10.50 ए.एम. पर मन् उप पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में परिवादी श्री सतीष शर्मा व उसका पुत्र श्री प्रेमषंकर के साथ उपस्थित आये एवं बताया कि रिष्वत राषि 10 हजार रूपये साथ लेकर आया हू ँ। समय 10.52 ए.एम. पर श्री राजकुमार सउनि उपस्थित कार्यालय आया, जिसने दो स्वतंत्र गवाह श्री अषोक कुमार मीणा पुत्र श्री भगवानसहाय मीणा जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी गांव तिलकनगर तहसील जमवारामगढ जयपुर हाल कार्यालय कनिष्ठ सहायक, जिला आबकारी अधिकारी जयपुर ग्रामीण, अरण्य भवन के सामने, जयपुर तथा श्री दीपक देवाना पुत्र श्री प्रभुलाल मीणा, जाति मीणा उम्र 25 साल निवासी गांव डिडोंल तहसील बस्सी जिला जयपुर, हाल 3एमबी2, इन्द्रा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर हाल कार्यालय कनिष्ठ सहायक, जिला आबकारी अधिकारी जयपुर ग्रामीण, अरण्य भवन के सामने, जयपुर हमराह पेष किये। परिवादी श्री सतीष शर्मा भी उपस्थित कार्यालय है। परिवादी व स्वंतत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत षिकायत प्रार्थना पत्र का दोनों स्वतन्त्र गवाहान को अवलोकन करवाया गया, दोनों गवाहान को ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक सहमति दी। परिवादी श्री सतीष शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.50 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् उप पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्री श्रवण लाल शर्मा गांव रायपुरा ब्राह्मणान थाना मानपुर जिला दौसा, हाल निवासी जामडोली फोर्ट के पास जामडोली, थाना कानोता जयपुर को सिंदग्ध श्री अजीत सिंह हैड कान्सटेबल थाना मानपुर, जिला दौसा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा गया, जिस पर परिवादी श्री सतीष शर्मा ने अपने पास से 500-500 रूपये के 20 नम्बरी नोट राषि 10 हजार रूपये निकाल कर मन् उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय, जयपुर को पेश किये, जिनका विवरण फर्द पेषकषी में अंकन किया गया। उक्त नोटों के नम्बर मन् उप पुलिस अधीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटां के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। उसके बाद परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष कार्यालय मौजूद श्रीमती शर्मिला म.कानि. 96 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 500-500 रूपये के कुल 20 नम्बरी नोट कुल राषि 10 हजार रूपयों को रखकर उक्त नोटों पर श्रीमती शर्मिला म.कानि. 96 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। उसके बाद परिवादी श्री सतीष शर्मा की जामा तलाशी गवाह श्री दीपक देवाना से लिवायी गयी, तो परिवादी के पास उसके मोबाइल फोन के अलावा कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। तत्पष्चात उक्त रिष्वत राषि 10 हजार रूपयों पर श्रीमती शर्मिला म.कानि. 96 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर परिवादी की पेन्ट डार्कग्रे की दांहिनी जेब में रखवाया गया। इसके बाद श्रीमती शर्मिला म.कानि. से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी को अलमारी में वापस रखवाई गई तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स से सोडियम कार्बोनेट की शीषी निकलवाकर उसमें से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर निकलवा कर सोडियम कार्बोनेट को साफ पानी से भरे कांच के गिलास में डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्रीमती शर्मिला म.कानि.की फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दांहिने हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी सतीष शर्मा व गवाहान को दिखाकर

समझाया गया कि यदि संदिग्ध उक्त पॉउडर लगे नोटां या पैकिट को छुयेगा तो उसके हाथां में फिनोफ्थलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री सतीष शर्मा को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद यह बोले की मेरा अभी का काम तो हो गया है तथा सिर पर हाथ घुमाकर मन् उप पुलिस अधीक्षक की तरफ इषारा करे अथवा मन् उप पुलिस अधीक्षक के मो0 नं0 [redacted] पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का यथा-सम्भव प्रयास करें तथा परिवादी को हिदायत की गई कि वो संदिग्ध व्यक्ति को रिष्वत राषि देने के पष्चात ना तो उससे हाथ मिलाये और यदि आवष्यक हो तो हाथ जोडकर नमस्कार करें। तत्पश्चात श्रीमती शर्मिला म.कानि. के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं टै्रप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा टै्रपबाक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई तथा सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई। श्रीमती शर्मिला म.कानि. को कार्यालय में ही छोडा गया। परिवादी श्री सतीष शर्मा को रिश्वती राषि लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित कर, चलाने व बन्द करने की विधि समझा कर श्री विरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि संदिग्ध को रिष्वत देने के लिए परिवादी के जाने से पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर परिवादी को देना सुनिष्चित करें। समय 12.40 पी.एम. पर परिवादी श्री सतीष शर्मा व उसने पुत्र श्री प्रेमषंकर ने बताया कि श्री अजीत सिंह हैड कानि. पुलिस थाना मानपुर द्वारा कल दिनांक 16.10.2024 को पुत्री व बहन व बहनोई को साथ लाने के लिए कहा था, जिनको भी लेकर थाना मानपुर जाना है अतः इनके कहेनुसार श्री प्रेमषंकर को अपना निजी वाहन से थाना मानपुर पहुंचे की हिदायत कर रवाना किया गया। चूंकि परिवादी श्री सतीष शर्मा के कहेनुसार संदिग्ध श्री अजीत सिंह हैड कानि. द्वारा रिष्वत राषि सहित परिवादी को आज ही थाना मानपुर पर अपनी पुत्र पुत्री, बहन व बहनोइ को साथ लेकर बुलाया है। रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करने में समय लगेगा। अतः समय कम होने के कारण आईन्दा तैयार की जावेगी। समय 12.50 पी.एम. पर मन् उप पुलिस अधीक्षक विजय सिंह मय श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री गजानन्द उ.नि., श्री राजकुमार सउनि, श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. नं. 130, श्री पिन्टू मीणा हैड कानि. नं. 34, श्री वीरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212, श्री हरकेष कानि. नं. 69, श्रीराम कानि. नं. 295, श्रीमती राजू देवी म.कानि. नं. 42 मय परिवादी श्री सतीष शर्मा मय स्वतंत्र गवाहान श्री अषोक कुमार मीणा व श्री दीपक देवाना मय ट्रेप बाक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय दो सरकारी वाहन मय चालक के गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो मुख्यालय से रवाना हुऐ। समय 02.42 पी.एम. मन् उप पुलिस अधीक्षक विजय सिंह मय श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री गजानन्द उ.नि., श्री राजकुमार सउनि, श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. नं. 130, श्री पिन्टू मीणा हैड कानि. नं. 34,श्री वीरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212, श्री हरकेष कानि. नं. 69, श्री श्रीराम कानि. नं. 295, श्रीमती राजू देवी म.कानि. नं. 42 मय परिवादी श्री सतीष शर्मा मय स्वतंत्र गवाहान श्री अषोक कुमार मीणा व श्री दीपक देवाना मय ट्रेप बाक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय दो सरकारी वाहन मय चालक के मानपुर थाने परिसर के पास पहुंचे, जहां पर वाहनों को साईड में खडा करवाया गया, ट्रेप जाल बिछाया गया। श्री विरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212 द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डिंग चालू कर परिवादी श्री सतीष शर्मा को सुपूर्द किया। परिवादी श्री सतीष शर्मा को श्री अजीत सिंह हैड कानि. को रिष्वत राषि देने के लिए रवाना किया गया तथा मन् उप पुलिस अधीक्षक मय टीम मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के ईषारे के इन्तजार में मुकीम रहे। समय 03.30 पी.एम. पर परिवादी श्री सतीष शर्मा ने निर्धारित गोपनीय ईषारा किया। इसके बाद मन् उप पुलिस अधीक्षक विजय सिंह मय एसीबी टीम मय गवाह पुलिस थाना मानपुर के अन्दर प्रवेष किया, विडियों कैमरा श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. से चालू करवाया गया। जहां पर थाने के स्वागत कक्ष में परिवादी श्री सतीष शर्मा व उसका पुत्र श्री प्रेमषंकर मौजूद मिले, जिससे चालू हालात में डिजिटल वाईस रिकार्डर लिया गया, जिसको बन्द किया गया। इसके बाद परिवादी ने वहां पर मौजूद एक व्यक्ति की तरफ ईषारा कर बताया कि यही श्री अजीत सिंह हैड कानि. है जिन्होने मेरे से अभी अभी 10,000 रूपये रिष्वत के अपने दांहिने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी पिछली जेब में रखे है। इसके पष्चात आरोपी श्री अजीत सिंह हैड कानि. का बायां हाथ कलाई के उपर से श्री वीरेन्द्र कुमार कानि. से तथा दाहिना हाथ कलाई के उपर से श्री पिन्टू मीणा हैड कानि. से पकडवाया गया। मन् उप अधीक्षक ने उस व्यक्ति को अपना तथा ए.सी.बी. टीम व स्वतंत्र गवाहान का परिचय देते हुये उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री अजीत सिंह पुत्र श्री घीसीराम जाति जाटव उम्र 47 साल निवासी ग्राम मेहतोली पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर हाल हैड कानि. नं. 121, पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा होना बताया। इस पर आरोपी श्री अजीत सिंह हैड कानि. से रिष्वत राषी के बारे में पुछा तो कोई रिष्वत नहीं लेना तथा रिष्वत नहीं मांगना बताते हुये जबरदस्ती देने पर रखना बताया। इस पर परिवादी श्री सतीष शर्मा ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुये बताया कि दिनांक 10.09.2024 को गांव रायपुरा

ब्राहम्णान में मेरे परिवार के सदस्यों के साथ लडाई-झगडा हो गया था जिस पर मेरे विपक्षी गिर्राज प्रसाद ने हमारे विरूद्ध थाना मानपुर में मुकदमा 244/2024 दिनांक 11.09.2024 दर्ज करवाया था। मेरे द्वारा श्री गिर्राज प्रसाद के विरूद्ध दर्ज करवाई गई रिपोर्ट पर मुकदमा नं. 247/2024 दर्ज किया गया। उक्त दोनों प्रकरणों का अनुसंधान श्री अजीत सिंह हैड कानि. के द्वारा किया जा रहा था। दिनांक 11.10.24 को मैं उक्त श्री अजीत सिंह जी से थाना मानपुर में जाकर मिला तो उसके द्वारा इस मुकदमें में मेरी पुत्री व बहन का नाम हटानें व गम्भीर धारायें हटाने के लिए रिष्वत के तौर पर 20,000/- की मांग कि गई। मेरे द्वारा उनको बार-बार रिष्वत मांगने पर 7000 रूपये उसी दिन दिये गये और दिनांक 16.10.2024 को मांग सत्यापन के समय 3000 रूपये दिये। आज दिनांक 17.10.2024 को शेष राषि 10,000 रूपये रिष्वत के अपने दाहिने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रख लिये है। इस पर आरोपी से पूछने पर बताया कि मैनें कोई रिष्वत राषि नहीं ली हे, परिवादी के स्वयं ने खर्चे पानी के लिए दिये है। इसके पष्चात ट्रेप बाक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाया गया। उक्त घोल का रंग रंगहीन रहा। इसके बाद आरोपी श्री अजीत सिंह हैड कानि. के दांहिने हाथ की अगुलियों व अंगुठे को उक्त घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शीषीयों में आधा आधा भरवाकर दोनों शीषीयों पर मार्क क्रमषः तु.1 व तु.2 अंकित कर उक्त दोनों शीषीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसी प्रकार दूसरे साफ कांच का गिलास मंगवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाया गया। उक्त घोल का रंग रंगहीन रहा। इसके बाद आरोपी श्री अजीत सिंह हैड कानि. के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुठे को उक्त घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गद्मैला सा हो गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शीषीयों में आधा आधा भरवाकर शीषीयों क्रमषः मार्क स्.1 व स्.2 अंकित कर उक्त दोनों शीषीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पष्चात आरोपी श्री अजीत सिंह हैड कानि. की तलाषी स्वतंत्र गवाह श्री दीपक देवाना से लिवाई गई तो आरोपी श्री अजीत सिंह हैड कानि. की पहनी हुई गहरे नीले रंग की पेन्ट की पिछली जेब में रिष्वत राषि मिली। इसके बाद दूसरे साफ कांच का गिलास मंगवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थितगणों को दिखाये जाने पर घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। आरोपी की पेन्ट की पीछे की जेब में रिष्वत राषि मिली जिसमें पांच पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये होना पाये गये, इसके बाद उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान मन उप अधीक्षक पुलिस व स्वतंत्र गवाहान द्वारा फर्द पेषकषी नोट से किया गया तो फर्द पेषकषी में अंकित नम्बरों के अनुसार होना पाये गये। उक्त राषि पांच पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये पर सफेद कागज में लपेटकर, सील मोहर कर पैकिटों पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर बजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके अलावा आरोपी की पेन्ट की सामने की बांयी जेब में पांच पांच सौ रूपये 08 नोट, दो दो सौ रूपये के 02 नोट, सौ सौ रूपये के 02 नोट तथा पचास रूपये का 01 नोट कुल 4650 रूपये मिले, जिसके बारे में आरोपी से पूछा तो स्वयं के खर्चे के होना बताया। इसके अलावा एक रोडवेज का बस का पुलिस कॉर्ड अजीत सिंह के नाम का मिला। आरोपी के पास मिले राषि 4650 व रोडवेज के कार्ड को आरोपी के बताये अनुसार पुलिस थाना मानपुर में पदस्थापित श्री सोहन लाल कानि. नं. 400 को सुपुर्द किये गये। इसके बाद एक पजामा मंगवाकर आरोपी श्री अजीत सिंह की पेन्ट उतरवाई व पजामा पहनाया गया। इसके बाद एक दूसरे साफ कांच का गिलास मंगवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थितगणों को दिखाये जाने पर घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। इसके बाद आरोपी की पेन्ट की पीछे की जेब को उलटवाकर उक्त मिश्रण में धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शीषीयों में आधा आधा भरवाकर शीषीयों मार्क क्रमषः च्.1 व च्.2 अंकित कर उक्त दोनों शीषीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। जिस पेन्ट में रिष्वत राषि बरामद हुई, जो गहरे नीले रंग की है, उस पेन्ट की पीछे की जेब को सुखाकर जेब पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर, एक सफेद कपडे की थेली में रखकर, थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्का च् अंकित कर थेली को सीलमोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पष्चात आरोपी की सामने रखी टेबिल की तलाषी ली गई तो प्रकरण संख्या 247/2024 की पत्रावली, सरवर्क पत्रावली प्रकरण संख्या 244/2024 पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा की पत्रावली, 04 भरे हुई बन्ध पत्र न्यायालय में में उपस्थिति हेतु और जमानत प्रार्थना पत्र जिसमें एक श्री सतीष कुमार पुत्र श्री श्रवण लाल जाति ब्राहाम्ण उम्र 56 साल निवासी रायपुरा हाल जामडौली, पुलिस थाना कानोता, जयपुर, श्री प्रेमषंकर पुत्र श्री सतीष शर्मा जाति ब्राहम्ण, उम्र 26 साल निवासी रायपुरा हाल जामडौली, पुलिस थाना कानोता, जयपुर, श्रीमति तनुजा पत्नि केषव शर्मा जाति ब्राहम्ण, उम्र 30 साल निवासी गवरमेन्ट स्कूल के पास आंधी, पुलिस थाना आंधी जिला जयपुर तथा श्रीमति गीता देवी पत्नि श्री राजकुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 43 साल निवासी मोहनपुरा, पुलिस थाना बस्सी जिला जयपुर मिले, उक्त चारों बन्द पत्रों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया। प्रकरण संख्या 244/2024 की पत्रावली पेज संख्या 01 से 71 तक तथा प्रकरण संख्या 247/2024 की पत्रावली की पेज संख्या 01 से 42 तक की प्रमाणित प्रति, इंचार्ज थाना श्री दौलत सिंह, सउनि से करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इस

प्रकार अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री अजीत सिंह् पुत्र श्री घीसीराम जाति जाटव उम्र 47 साल निवासी ग्राम मेहतोली पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर हाल हैड कानि. नं. 121, पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा के द्वारा परिवादी श्री सतीष शर्मा व उसके परिवारजन के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 244/2024 पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा में मदद करने, धारायें कम करने की एवज में 20,000 रूपये रिष्वत की मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 11.10.2024 को 07 हजार रूपये रिष्वत के प्राप्त किये, दिनांक 16.10.2024 को वक्त रिष्वत मांग सत्यापन के समय 03 हजार रूपये रिष्वत के प्राप्त किये तथा आज दिनांक 17.10.2024 को दौराने ट्रेप कार्यवाही 10,000 रूपये बतौर रिष्वत प्राप्त करना अपराध अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण (संषोधित) अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। आरोपी श्री अजीत सिंह् हैड कानि. नं. 121, पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया जिसको माननीय विचारण न्यायालय में पेष किया जावेगा। दिनांक 16.10.2024 को रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 17.10.2024 को वक्त रिष्वत लेन देन हुई वार्ता का वार्तारूपांरण तैयार किया जावेगा। अब तक की कार्यवाही से श्री अजीत सिंह् पुत्र श्री घीसीराम जाति जाटव उम्र 47 साल निवासी ग्राम मेहतोली पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर हाल हैड कानि. नं. 121, पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 07 भ्रष्टाचार निवारण (संषोधन) अधिनियम 2018 में प्रमाणित पाये जाने पर उपरोक्त आरोपी श्री अजीत सिंह् हैड कानि. नं. 121, पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 07 भ्रष्टाचार निवारण (संषोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवा में पेश है। (विजय सिंह) उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू. द्वितीय, जयपुर..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजय सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-द्वितीय, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अजीत सिंह पुत्र श्री घीसीराम, हैड कानिस्टेबल नम्बर 121, पुलिस थाना मानपुर, जिला दौसा के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नवल किशोर मीना,उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 771 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1267-70 दिनांक 18-10-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-2,जयपुर। 2-पुलिस अधीक्षक,जिला दौसा। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ, जयपुर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-द्वितीय,जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NAVAL KISHORE MEENA **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 15/10/2024 20:03:52

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	12/01/1977				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)